

कार्यालय अधीक्षक, संस्थान प्रबंधन समिति, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोण्डागॉव
नारायणपुर रोड जौंदरापदर, जिला-कोण्डागॉव (छ.ग.) 494226

क्रमांक/औप्रसं/कोगा/आईएमसी/प्रशि./प्रशिक्षक/2024/ 33

कोण्डागॉव, दिनांक 24/10/2024

// विज्ञापन //

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक 559 दिनांक 14/08/2024 में संदर्भित डीजीटी संबंधीकरण पत्र क्रमांक DGT/Aff011/5/2024-O/o DIR (TC) के द्वारा संस्था में नवीन व्यवसाय वेल्डर एवं स्टेनो. (हिंदी) प्रारंभ किया गया है। संचालनालय द्वारा संस्था के सेटप में प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद में वृद्धि किये जाने तक या नियमित/स्थानान्तरित/संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की पदस्थापना किये जाने तक उक्त नये व्यवसायों में संस्थान प्रबंधन समिति, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोण्डागॉव के माध्यम से प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जानी है।

अतः वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संस्थान प्रबंधन समिति स्तर पर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोण्डागॉव में व्यवसाय वेल्डर एवं स्टेनो. (हिंदी) में प्रशिक्षण सत्र 2024-25 के लिये प्रशिक्षक (Trainer) के अस्थायी पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोण्डागॉव, नारायणपुर रोड जौंदरापदर पोस्ट बुनागॉव तहसील एवं जिला-कोण्डागॉव (छ.ग.) 494226 में दिनांक 09/11/2024 को सायं 5:00 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :-

1. पदों की जानकारी :

क्र०	व्यवसाय का नाम	पदों की संख्या	वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
1	वेल्डर	01	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मेनुफेक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।
2	स्टेनोग्राफर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिंदी)	01	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) मुद्रलेखन परिषद से :- हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति। (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी) 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)
कुल पद		02	

टीप :- शाखाओं की समतुल्यता/समकक्षता/प्रासंगिकता (शैक्षणिक अर्हता) का निर्धारण प्रचलित विभागीय भर्ती नियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 मई 2019 के अनुसार किया जावेगा।


2. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-

- (क) जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के एटीआई/सीटीआई (परीक्षा) की तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई./डिप्लोमा/डिग्री) परीक्षा की प्राप्तांकों के आधार पर प्राथमिकता देते हुए मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- (ख) सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।

3. नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें। निर्धारित प्रारूप में आवेदन नहीं होने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली-भाँति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
4. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एकवर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई./डिप्लोमा/डिग्री) प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा। सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
5. प्रशिक्षकों को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रशिक्षक द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट कारण दर्शाते हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
6. शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में आमंत्रित प्रशिक्षकों की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. प्रशिक्षकों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में प्रशिक्षकों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रतिघंटा 140/- (एक सौ चालीस रुपये) की दर से प्रति कार्यदिवस अधिकतम पांच घंटे का मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15,000/- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। प्रशिक्षकों को माह के कार्यदिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
9. प्रशिक्षकों को मानदेय का भुगतान तात्कालिक रूप से संस्थान प्रबंधन समिति, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोण्डागॉव के द्वारा किया जावेगा।
10. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे। शासकीय अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. पदों की संख्या घटाई-बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।
12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, संस्थान प्रबंधन समिति, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोण्डागॉव का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
13. आवेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 09/11/2024 को सायं 5:00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोण्डागॉव, नारायणपुर रोड जोंदरापदर पोस्ट बुनागॉव तहसील एवं जिला- कोण्डागॉव छ.ग. - 494226 में जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर/आवेदन प्रपत्र में संस्था एवं व्यवसाय का नाम उल्लेख करना आवश्यक है।

14. आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वांछित प्रमाण-पत्रों जैसे- शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, एटीआई/सीटीआई एवं निवास प्रमाण-पत्र तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र जिनके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है।
15. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे तथा इस संबंध में उम्मीदवारों को सूचना नहीं दी जायेगी।
16. प्रशिक्षकों का चयन अनुमोदन सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित की गई अवधि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद चयन अनुमोदन सूची के अगले सरल क्रमांक को अवसर दिया जावेगा तथा इसी क्रम से अन्य आवेदकों को अवसर दिया जावेगा।
17. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेंगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट उल्लेखित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
18. आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र जैसे- राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण-पत्र/अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी।


अधीक्षक/सचिव
संस्थान प्रबंधन समिति
I.M.C. Society
शास.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोणडागाव
जिला कोणडागाव (छ.ग.)